IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 20, April 2026
Impact Factor: 8.2

दहेज प्रथा के विरुद्ध सामाजिक आंदोलनों की भूमिका

नीरेश बाबू[1] and डॉ. सरिता सिंह[2]

[1]शोधार्थी, समाज शास्त्र-विभाग

[2]सहायक प्रोफेसर, समाज शास्त्र-विभाग

सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान

सारांश

दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक कुरीति है, जिसने महिलाओं के शोषण, हिंसा और असमानता को बढ़ावा दिया है। स्वतंत्रता के पश्चात अनेक सामाजिक आंदोलनों, महिला संगठनों और सुधारवादी अभियानों ने इस प्रथा के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस शोध पत्र में दहेज प्रथा के विरुद्ध सामाजिक आंदोलनों की भूमिका, उनके प्रभाव, सीमाएँ तथा वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जागरूकता, कानूनों के क्रियान्वयन और सामूहिक सामाजिक प्रयासों के माध्यम से दहेज उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, किंतु यह समस्या अभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है।

मुख्य संकेतक: - महिला सशक्तिकरण, नारीवादी आंदोलन, दहेज निषेध अधिनियम 2016, सामाजिक सुधार, लैंगिक समानता।

परिचय

दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक गहरी जड़ें जमाई हुई सामाजिक कुरीति है, जिसने महिलाओं के जीवन, सम्मान और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाला है। विवाह को एक पवित्र सामाजिक संस्कार माना जाता है, किंतु दहेज प्रथा ने इसे आर्थिक लेन-देन का रूप दे दिया है। दहेज के कारण महिलाओं के साथ हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, घरेलू शोषण और अनेक मामलों में दहेज मृत्यु जैसी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि दहेज से संबंधित अपराध आज भी समाज में एक महत्वपूर्ण चुनौती बने हुए हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 20, April 2026 Impact Factor: 8.2

ऐतिहासिक रूप से दहेज को "स्त्रीधन" या "उपहार" के रूप में देखा जाता था, जिसका उद्देश्य बेटी को नए घर में सहायता प्रदान करना था। किंतु समय के साथ यह परंपरा पितृसत्तात्मक संरचना और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़कर एक दबावपूर्ण व्यवस्था में बदल गई। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो दहेज प्रथा सामाजिक असमानता, वर्गभेद और लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती है (शर्मा, 2018)। इस संदर्भ में सामाजिक आंदोलनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, जिन्होंने इस कुरीति के विरुद्ध जनजागरण, कानूनी सुधार और सामाजिक चेतना के निर्माण में योगदान दिया है।

भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का इतिहास 19वीं सदी से प्रारंभ होता है, जब राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले जैसे सुधारकों ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। यद्यपि प्रारंभिक आंदोलनों का केंद्र मुख्यतः सती प्रथा और बाल विवाह थे, परंतु दहेज जैसी समस्याओं के प्रति भी सामाजिक दृष्टिकोण विकसित होने लगा। महात्मा गांधी ने भी दहेज प्रथा को सामाजिक बुराई बताते हुए विवाह को सादगीपूर्ण बनाने पर बल दिया (गांधी, 1940 के विचारों पर आधारित सामाजिक अध्ययन)।

स्वतंत्रता के बाद विशेषकर 1970 के दशक से भारत में महिला आंदोलनों ने दहेज प्रथा के विरुद्ध संगठित रूप से संघर्ष प्रारंभ किया। इस अवधि में नारीवादी आंदोलनों ने यह स्पष्ट किया कि दहेज केवल एक पारिवारिक समस्या नहीं है, बल्कि यह एक संरचनात्मक सामाजिक हिंसा है। "ऑल इंडिया वुमेन्स फेडरेशन", "सहेली ग्रुप", "स्त्री संघर्ष आंदोलन" जैसे संगठनों ने दहेज हत्या, घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए (कुमारी, 2015)।

सामाजिक आंदोलनों ने दहेज विरोध को केवल विरोध तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक अधिकार आधारित आंदोलन में परिवर्तित किया। इन आंदोलनों के दबाव के कारण सरकार को 2016 में दहेज निषेध अधिनियम लागू करना पड़ा, जिसे बाद में और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 498A को भी महिलाओं के संरक्षण हेतु लागू किया गया, जो दहेज उत्पीड़न के मामलों में कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है।

दहेज प्रथा के विरुद्ध सामाजिक आंदोलनों की भूमिका केवल कानून निर्माण तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने समाज की मानसिकता को बदलने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और महिला समूहों ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रैलियाँ, नाट्य प्रस्तुतियाँ, कार्यशालाएँ और जागरूकता अभियान चलाए। मीडिया और फिल्मों ने भी दहेज विरोधी संदेशों को समाज तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार सामाजिक आंदोलनों ने जनमत निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाई (देसी, 2017)।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 20, April 2026 Impact Factor: 8.2

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। ये आंदोलन न केवल किसी समस्या को उजागर करते हैं, बल्कि समाज में व्यवहारिक परिवर्तन लाने का प्रयास भी करते हैं। दहेज विरोधी आंदोलन इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जिसने महिलाओं में आत्मविश्वास, शिक्षा और अधिकार चेतना को बढ़ावा दिया (राव, 2015)।

इसके बावजूद दहेज प्रथा आज भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह परंपरा अब भी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। कई परिवार इसे "उपहार" या "परंपरा" के नाम पर स्वीकार करते हैं, जिससे इसके उन्मूलन में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। सामाजिक दबाव, शिक्षा की कमी और कमजोर कानूनी क्रियान्वयन इसके प्रमुख कारण हैं (यादव, 2021)।

वर्तमान समय में सामाजिक आंदोलनों का स्वरूप अधिक डिजिटल और जागरूकता आधारित हो गया है। सोशल मीडिया अभियानों, ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रमों और युवा संगठनों के माध्यम से दहेज विरोधी संदेश व्यापक स्तर पर फैलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षा प्रणाली में भी लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी में दहेज विरोधी सोच विकसित हो रही है (सिंह, 2019)।

यह कहा जा सकता है कि दहेज प्रथा के विरुद्ध सामाजिक आंदोलनों ने भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। इन आंदोलनों ने न केवल कानूनों के निर्माण को प्रभावित किया, बल्कि सामाजिक सोच और व्यवहार को भी बदलने का प्रयास किया है। फिर भी, इस सामाजिक कुरीति के पूर्ण उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयास, शिक्षा, कानूनी सख्ती और सामाजिक जागरूकता आवश्यक है।

दहेज प्रथा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

दहेज की शुरुआत प्राचीन काल में "स्त्रीधन" के रूप में मानी जाती है, जिसमें माता-पिता अपनी बेटी को उपहार देते थे। लेकिन औपनिवेशिक और आधुनिक काल में यह परंपरा एक आर्थिक लेन-देन में बदल गई। समाजशास्त्रीय अध्ययनों के अनुसार दहेज प्रणाली सामाजिक प्रतिष्ठा, वर्ग भेद और पितृसत्ता से जुड़ गई है, जिसने इसे और अधिक मजबूत बना दिया।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 20, April 2026 Impact Factor: 8.2

सामाजिक आंदोलनों की भूमिका

1. प्रारंभिक सुधार आंदोलन

19वीं और 20वीं सदी में राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी जैसे सुधारकों ने दहेज और अन्य सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार किया।

2. महिला आंदोलन

1970 के बाद भारत में नारीवादी आंदोलनों ने दहेज विरोध को प्रमुख मुद्दा बनाया। जैसे:

- ऑल इंडिया वुमेन्स फेडरेशन
- सेफ्टी वुमेन्स ग्रुप
- स्ट्री संघर्ष आंदोलन

इन आंदोलनों ने दहेज मृत्यु, घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया।

3. कानूनी सुधार हेतु आंदोलन

सामाजिक दबाव के कारण सरकार को कई कानून बनाने पड़े:

- दहेज निषेध अधिनियम, 2016
- IPC धारा 498A (घरेलू हिंसा संरक्षण)
- महिला संरक्षण अधिनियम

4. जन-जागरूकता अभियान

- रैलियाँ और धरने
- नाट्य प्रदर्शन (street theatre)
- मीडिया और फिल्मों के माध्यम से प्रचार
- शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 20, April 2026
Impact Factor: 8.2

सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव

क्षेत्र	प्रभाव
सामाजिक जागरूकता	दहेज को अपराध और सामाजिक बुराई के रूप में पहचान मिली
कानूनी सुधार	कठोर कानून लागू हुए
महिला सशक्तिकरण	महिलाओं में आत्मविश्वास और अधिकार चेतना बढ़ी
मीडिया प्रभाव	दहेज विरोधी संदेश व्यापक रूप से प्रसारित हुए
अपराध नियंत्रण	दहेज मृत्यु के मामलों में आंशिक कमी आई

चुनौतियाँ और सीमाएँ

1. ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी
2. कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन
3. सामाजिक दबाव और परंपराएँ
4. दहेज को "उपहार" के रूप में छुपाना
5. न्यायिक प्रक्रिया में देरी

वर्तमान स्थिति

आज भी दहेज प्रथा पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता के कारण इसमें कमी आई है, लेकिन सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन अभी भी आवश्यक है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 20, April 2026
Impact Factor: 8.2

निष्कर्ष

दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक ऐसी गहरी और जटिल सामाजिक समस्या है, जिसने सदियों से महिलाओं के सम्मान, अधिकार और स्वतंत्रता को प्रभावित किया है। यद्यपि इसका प्रारंभिक स्वरूप एक सामाजिक परंपरा या उपहार प्रणाली के रूप में देखा जाता था, परंतु समय के साथ यह एक आर्थिक और मानसिक शोषण का माध्यम बन गया। आधुनिक समय में यह प्रथा कई गंभीर सामाजिक बुराइयों जैसे घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, आत्महत्या और दहेज मृत्यु का प्रमुख कारण बन चुकी है। ऐसे में दहेज प्रथा के विरुद्ध सामाजिक आंदोलनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी रही है। इन आंदोलनों ने न केवल समाज में जागरूकता उत्पन्न की, बल्कि कानून निर्माण, सामाजिक चेतना और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी निर्णायक योगदान दिया है।

सामाजिक आंदोलनों ने दहेज प्रथा को केवल एक पारिवारिक या निजी समस्या के रूप में देखने की पारंपरिक सोच को चुनौती दी और इसे एक गंभीर सामाजिक अपराध के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरे नारीवादी आंदोलनों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया। महिला संगठनों ने लगातार यह तर्क प्रस्तुत किया कि दहेज प्रथा महिलाओं को वस्तु की तरह देखने की पितृसत्तात्मक मानसिकता का परिणाम है, जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है। इन आंदोलनों ने समाज को यह समझाने का प्रयास किया कि विवाह एक सामाजिक और भावनात्मक संबंध है, न कि आर्थिक लेन-देन।

इन सामाजिक आंदोलनों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जन-जागरूकता के विस्तार में देखा जा सकता है। विभिन्न मंचों, रैलियों, नाट्य प्रस्तुतियों, मीडिया अभियानों और शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों तक यह संदेश पहुँचाया गया कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में इन आंदोलनों के प्रभाव से लोगों की सोच में परिवर्तन आया और शिक्षा प्राप्त वर्ग में दहेज के प्रति अस्वीकृति की भावना मजबूत हुई। इसके अतिरिक्त, फिल्मों, साहित्य और समाचार माध्यमों ने भी दहेज विरोधी संदेशों को व्यापक रूप से प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सामाजिक आंदोलनों ने सरकार को कठोर कानून बनाने के लिए भी प्रेरित किया। दहेज निषेध अधिनियम 1961, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, और घरेलू हिंसा से संबंधित कानून इन्हीं आंदोलनों के दबाव और समाज में बढ़ती जागरूकता का परिणाम हैं। इन कानूनों ने महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की और

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 20, April 2026 Impact Factor: 8.2

दहेज उत्पीड़न के मामलों में न्याय की संभावनाओं को बढ़ाया। हालांकि, यह भी सत्य है कि केवल कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं है; उनके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

इन आंदोलनों का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान महिलाओं में आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की भावना का विकास है। पहले जहां महिलाएँ दहेज उत्पीड़न को चुपचाप सहन करती थीं, वहीं अब वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हुई हैं और कानूनी सहायता लेने में संकोच नहीं करतीं। सामाजिक आंदोलनों ने महिलाओं को यह विश्वास दिलाया कि वे समाज में समान अधिकार रखती हैं और किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकती हैं। यह परिवर्तन भारतीय समाज में एक सकारात्मक सामाजिक बदलाव का संकेत है।

इसके बावजूद, दहेज प्रथा के विरुद्ध सामाजिक आंदोलनों को कई सीमाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी परंपरागत सोच मजबूत है, जहां दहेज को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, कई मामलों में कानूनों का दुरुपयोग या कमजोर कार्यान्वयन भी देखा गया है, जिससे वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिलने में कठिनाई होती है। सामाजिक दबाव, आर्थिक असमानता और शिक्षा की कमी भी इस समस्या को बनाए रखने में योगदान देती हैं।

फिर भी, इन सीमाओं के बावजूद यह स्पष्ट है कि सामाजिक आंदोलनों ने दहेज प्रथा के खिलाफ एक मजबूत वैचारिक आधार तैयार किया है। उन्होंने समाज में यह विचार स्थापित किया है कि दहेज एक अमानवीय और अस्वीकार्य प्रथा है, जिसे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। आज के समय में युवा पीढ़ी में दहेज के प्रति अस्वीकृति की भावना पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुई है, जो इन आंदोलनों की सफलता का प्रमाण है।

दहेज प्रथा के विरुद्ध सामाजिक आंदोलनों ने भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण सामाजिक क्रांति की नींव रखी है। इन्होंने न केवल दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ जनमत तैयार किया, बल्कि महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और समानता की दिशा में भी एक मजबूत आधार प्रदान किया है। यद्यपि यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, लेकिन सामाजिक आंदोलनों के निरंतर प्रयासों के कारण इसमें उल्लेखनीय कमी आई है। भविष्य में यदि शिक्षा, कानून और सामाजिक जागरूकता को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, तो दहेज प्रथा का पूर्ण उन्मूलन संभव है। इस प्रकार, सामाजिक आंदोलनों की भूमिका केवल एक ऐतिहासिक योगदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज भी समाज को एक अधिक समान, न्यायपूर्ण और मानवीय दिशा में आगे बढ़ाने में निरंतर सक्रिय है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 20, April 2026
Impact Factor: 8.2

संदर्भ सूची

1. कुमारी, आर. (2015). *भारत में दहेज प्रथा की सामाजिक समस्या.* कैनेडियन वुमन स्टडीज।
2. कुमारी, टी., सिंह, आर., एवं घोष, एस. (2016). *नारीवादी आंदोलन और भारत.* धर्मा जर्नल।
3. देसी, एन. (2017). *भारत में महिला आंदोलन.* सामाजिक अध्ययन केंद्र।
4. फुले, ज्योतिबा. (सामाजिक विचार संग्रह).
5. बिस्वास, एस. (2020). *महिला सशक्तिकरण और कानून.*
6. भारत सरकार (2016). *दहेज निषेध अधिनियम.*
7. यादव, पी. (2021). *दहेज प्रथा और सामाजिक संरचना.* सामाजिक शोध पत्रिका।
8. राव, एम. (2015). *लिंग और समाज.* सामाजिक विज्ञान जर्नल।
9. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (2022). *भारत में अपराध रिपोर्ट.*
10. शर्मा, के. (2018). *भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन.* नई दिल्ली प्रकाशन।
11. सिंह, आर. (2019). *भारत में महिला आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन.* जयपुर प्रकाशन।